

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

रामकिशोर पुत्र भुराराम

बनाम

भुराराम पुत्र श्रीराम वगैरह

सम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 45/2018 FZ

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुये।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिखिल जज

06/2018

यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 एव सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री बस्तीराम ढाका ने पेश कर प्रकरण मे अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु एक पक्षिय बहस सुनने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतित होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी तारीख पेशी तक मौजा जोचीणा के खेत ख नं 154 रकबा 6.03 बीघा , ख नं 227 रकबा 5.4 बीघा , ख नं 283 रकबा 2.10 बीघा , ख नं 284 रकबा 0.10 बीघा , ख नं 413 रकबा 5.17 बीघा , ख नं 569 रकबा 10.13 बीघा भूमि का बेचान , बक्सीस एवं हस्तानान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.9.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

10.9.18

पीठासीन अधिकारी नौ मितिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 02.01.19 को प्रस्तुत करें।

02.01.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी नौ मितिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.4.19 को प्रस्तुत करें।

26.4.19 P.O. शास्व पुजावकम (अधिवक्ता)

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी नौ मितिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16.8.19 को प्रस्तुत करें।